



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54796

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 3665 सन् 2026

वैशाली साहू

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

...प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अविरल पांडे, उदित सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अविरल पांडे और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह की दलीलें सुनी गईं।
2. दोनों पक्षों के अधिवक्तागण ने संयुक्त रूप से यह बयान दिया है कि वे आगे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं, अतः पक्षों की सहमति से रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता को 14.02.2019 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज के अनुसंधान अनुभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने 02.04.2024 से 27.06.2024 तक मातृत्व अवकाश लिया था और उसके बाद याचिकाकर्ता ने 16.03.2026 से 11.09.2026 तक दूसरे मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया। हालांकि, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव, जो तीसरे प्रत्यर्थी हैं, के दिनांक 10.03.2026 के आदेश के अनुसार, दूसरे मातृत्व अवकाश को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि इसे दो वर्ष की अवधि के भीतर लिया गया है।
4. इसी पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि उपरोक्त आधार मान्य नहीं है, विशेषकर तब जब **अनुपम यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य - 2022 (1) ए.डी.जे. 669** और **निधि सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और दो अन्य; रिट-ए संख्या 9975/2025, दिनांक 02.09.2025** के निर्णयों में इसे खारिज कर दिया गया है।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा जिस भी निर्णय का हवाला दिया गया है, उस पर विचार नहीं किया गया है। उनका निवेदन है कि आदेश को रद्द किया जाए और मामले को नए आदेश पारित करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को वापस भेजा जाए।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनी है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

8. जाहिर तौर पर, याचिकाकर्ता अपने दूसरे मातृत्व अवकाश के आवेदन की अस्वीकृति से व्यथित है। तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 10.03.2026 को पारित आदेश नीचे दिया गया है:

अवकाश आदेश

वैशाली साहू [1071244], वरिष्ठ सहायक, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रयागराज को अवकाश आवेदन संख्या 41716721 के क्रम में दिनांक 16/03/2026 से 11/09/2026 तक 180 दिन का मातृत्व अवकाश निम्नलिखित टिप्पणी/टिप्पणियों के साथ अस्वीकृत किया जाता है।

टिप्पणी: अनुमन्य नहीं। मातृत्व (प्रसूति) अवकाश के नियमानुसार पूर्व में स्वीकृत मातृत्व (प्रसूति) अवकाश की समाप्ति के दिनांक से 2 वर्ष व्यतीत न होने के कारण।

भगवती सिंह

सचिव

माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

दिनांक: 10/03/2026 12:42PM

9. अनुपम यादव और अन्य (उपरोक्त) मामले में निम्नलिखित अवलोकन किया गया:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"24. इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य ने धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8.12.2008 और 24.3.2009 के शासनादेश जारी कर अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को अपनाया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को भी उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने 11.4.2011 के शासनादेश में अपनाया है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। एक बार जब उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को अपना लिया गया है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा माना गया है, तो उक्त अधिनियम 1961 पूर्ण बल के साथ लागू होगा, भले ही वित्तीय पुस्तिका में निहित प्रावधान कुछ भी हों, जो केवल एक कार्यकारी निर्देश है और किसी भी मामले में संसद द्वारा बनाए गए विधि के अधीन होगा।

25. निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 को संसद द्वारा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III में प्रविष्टि 24 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है। और इसका उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 42 और 43 में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 15 (3) में निहित प्रावधानों को प्रभावी बनाना है। वित्तीय पुस्तिका के प्रावधान मात्र कार्यकारी निर्देश हैं और संसद के अधिनियम के अधीन होंगे। किसी भी असंगति की स्थिति में, संसद द्वारा निर्मित वैधानिक अधिनियम प्रचलित होगा। अतः, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधान वित्तीय पुस्तिका के प्रावधानों पर अधिभावी होंगे। फलस्वरूप, वित्तीय पुस्तिका खंड II से IV के नियम 153 (1) के प्रावधानों को दूसरी गर्भावस्था के संबंध में महिला को अवकाश दिए जाने के संबंध में कम करके पढ़ा जाता है, जो मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होगा, न कि वित्तीय पुस्तिका खंड II से IV के नियम 153 (1) द्वारा। राज्य सरकार ने पहले ही मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को अपना लिया है, जैसा कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दर्ज किया गया है और एकल पीठ द्वारा अंशु रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में पारित निर्णय में इसका पालन किया गया है, रिट-ए संख्या 3486/2019, इससे स्पष्ट है कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधान किसी भी विधि पर प्रभावी होंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



26. इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा दायर मातृत्व अवकाश को केवल "अनुमति नहीं" कहकर अस्वीकार कर दिया गया है। प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वित्तीय पुस्तिका के नियम 153(1) के दूसरे प्रावधान के अनुसार याचिकाकर्ता मातृत्व अवकाश की हकदार नहीं है, क्योंकि पहले मातृत्व अवकाश की समाप्ति और दूसरे मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन के बीच दो वर्ष से कम का अंतर होने पर दूसरा मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता। यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने पहला मातृत्व अवकाश लिया था और 4.1.2021 को एक लड़के को जन्म दिया था। याचिकाकर्ता दोबारा गर्भवती हुई और 11.6.2022 को उसने फिर से मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता का दूसरा मातृत्व अवकाश आक्षेपित आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। हालांकि, चूंकि 1961 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने याचिकाकर्ता की छुट्टी अस्वीकार करने में स्पष्ट रूप से गलती की है, विशेष रूप से तब जब 1961 के अधिनियम की धारा 27 में यह प्रावधान है कि किसी अन्य कानून या सेवा अनुबंध में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद, 1961 का अधिनियम ही लागू होगा।"

10. चूंकि **अनुपम यादव और अन्य (उपरोक्त)** के फैसले को, जैसा कि बाद के फैसलों में अनुसरण किया गया है, ध्यान में नहीं लिया गया है, इसलिए इस मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

11. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(क). प्रत्यर्था संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 10.03.2026 का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

(ख). मामले को वापस भेजा जाता है ताकि आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता को नोटिस देने के बाद विधि के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित किया जा सके।

12. तदनुसार, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

18 मार्च 2026

आशु

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास) बुधवार)

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।